राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.1(ग)(   )का / एसएमई–03 / डीएलबी / 23 / 8413   दिनांकः 23/08/2023

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा राज्य सरकार राजस्थान नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा नियम, 1963, राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय) सेवा नियम, 1963 एवं राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ श्रेणी) सेवा नियम, 1964 की अनुसूचि में वर्णित उच्च पदों पर पदोन्नति वर्ष 2023–24 हेतु कोई रिक्त पद विहित अनुभव या सेवा के अनुभव या यथा स्थिति दोनो के अभाव में पदोन्नति द्वारा नही भरा जा सकता हो तो उस रिक्त पद को भरने के लिए 2 वर्ष तक का शिथिलिकरण निम्न पद के अनुभव या सेवा के अनुभव या यथास्थिति या दोनो के लिए दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। किन्तु जहॉ पदोन्नति के लिए विहित अनुभव 2 वर्ष है वहॉ शिथिलिकरण 1 वर्ष के लिए देय होगा। किसी भी स्थिति में परीविक्षाकाल के दौरान पदोन्नति का लाभ देय नही होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकःप.1(ग)(   )का / एसएमई–03 / डीएलबी / 23 / 8414-9005   दिनांकः 23/08/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
03. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजस्थान
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग समस्त।
05. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजस्थान
06. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय लेखन मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राज पत्र में प्रकाशन करने एवं 10 प्रतियां प्रस्तुत कराने हेतु प्रस्तुत है।
07. समस्त अधिकारी निदेशालय।
08. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)

D/shahzad ali/Gopal Ji/Latter